

महापौर परिषद की बैठक में 11 प्रस्ताव पर मिली स्वीकृति

भिलाईनगर/शिवाजी नगर खुर्सीपार क्षेत्र के जोन 1, 2 एवं 3 की सीवर पाईप लाईन तथा 7 वार्डों में बीएसपी मकान के बैक लाईन में 40 वर्ष पूर्व बिछाए गये सीवर लाईन के संधारण कार्य की स्वीकृति महापौर परिषद ने प्रदान किया है, ताकि जल जनित बिमारी पर रोक थाम हो सके साथ ही अन्य 9 प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है।

महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता तथा उपायुक्त रमाकांत साहू एवं परिषद के सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। बैठक में कुल 11 प्रस्ताव विचार हेतु प्रस्तुत किये, जिसमें खुर्सीपार के जोन 1, 2 एवं 3 में सीवर लाईन निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित किये जाने तथा वार्ड 38, 39, 42, 45, 48, 49 एवं 50 में बी.एस.पी. क्वाटर के बैक लाईन में 40 वर्ष पूर्व बिछाये गये पेयजल पाईप लाईन तथा सीवर लाईन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण पेयजल हेतु प्रदाय किये जाने वाले पानी से डायरिया, पीलिया जैसे जल जनित बिमारी की आशंका बनी रहती है, जिसके स्थायी समाधान के लिए सीवर लाईन का संधारण एवं आवश्यकता अनुसार बदले जाने की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

राम नगर मुक्तिधाम में शवदहन हेतु जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति, वार्ड 25 संतोषी पारा तेल्लहानाला का विकास कार्य किये जाने की स्वीकृति दी गई। जोन 5 सेक्टर 6 के 14 वार्डों में सार्वजनिक मंच, सामुदायिक भवन, मैदान, उद्यान का संधारण एवं प्रकाश व्यवस्था कार्य की वही सेक्टर 10 के सड़क 42 एवं 43 में पंथावे निर्माण की स्वीकृति महापौर परिषद ने प्रदान किया है तथा वार्ड 5 में जर्जर सामुदायिक शौचालय, गांधी नगर में पुराना फाउण्टेन, शेड युक्त मंच पुडकी पारा फरीद नगर तथा कृष्णा नगर में क्षतिग्रस्त पम्प हाउस को ध्वस्त करने की अनुमति तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर प्रदान किया गया है।

बैठक में महापौर परिषद के सदस्य एकांश बंछोर, संदीप निरंकारी, केशव चौबे, मन्नान गफ्फार खान, रीता सिंह गेरा, मालती ठाकुर, मीरा बंजारे, लक्ष्मीपति राजू, सीजू एन्थोनी, चन्द्रशेखर गंवई, जोन आयुक्त सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

